

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 17/2017

रामगोपाल पुत्र श्री छीतर जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रभू पुत्र श्री भैरू
2. बालू पुत्र श्री काना
3. रतन पुत्र श्री काना
समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. हरजी पुत्र कालू जाति रावत निवासी ग्राम तख्तपुरा ग्राम पंचायत शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम शेरगढ पटवार मंडल शेरगढ भू0 अ0 नि0 क्षेत्र बेगलियावास तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 763 रक्बा 01-11-10 व 764 रक्बा 01-12-00 व 765 रक्बा 0-03-00 तथा 794 रक्बा 2-14-10 बीघा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमियां है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।


वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम शेरगढ की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 641 में ख0 न0 763 रक्बा 01-11-10 व 764 रक्बा 01-12-00 व 765 रक्बा 0-03-00 तथा 794 रक्बा 2-14-10 बीघा प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि -

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम शेरगढ स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 763 रक्बा 01-11-10 व 764 रक्बा 01-12-00 व 765 रक्बा 0-03-00 तथा 794 रक्बा 2-14-10 बीघा में मौका कमीशनर रु 1500/- कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।




(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

